

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
—: अधिसूचना :-

पटना-15, दिनांक- /2026

संख्या-1/स्था0 (7) 01/2024-...../विभागीय अधिसूचना संख्या-503नि0गो0, दिनांक-30.09.2026 के द्वारा डॉ0 उदय दत्त कुमार बोस, जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली को निलंबित किए जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से डॉ0 रवि शंकर विद्यार्थी, सहायक निदेशक (पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना (क्षेत्रीय स्तर), मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अलावे अगले आदेश तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) का वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति सहित अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. उक्त पद पर नियमित पदस्थापन होने के पश्चात् यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 01/2024- /पटना-15, दिनांक- /2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 01/2024- /पटना-15, दिनांक- /2026

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/डॉ० रवि शंकर विद्यार्थी, सहायक निदेशक (पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना (क्षेत्रीय स्तर), मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 01/2024- 5335 /पटना-15, दिनांक- 30/09/2026

प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।